निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श0)

(सं0 पटना 364) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं0 08/आरोप–01–103/2014,सा०प्र०–1802
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
2 फरवरी 2015

श्री राधा बिहारी ओझा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–28/08, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर, भभुआ के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से कनीय अभियंता को नासरीगंज में प्रतिनियुक्त करने, एक माह तक चेक को हस्ताक्षर हेतु उप विकास आयुक्त को उपस्थापित नहीं करने, लॉग–बुक में जालसाजी कर सरकारी वाहन एवं ईधन का दुरूपयोग करने, मुख्यालय से बिना अनुमति बाहर रहने इत्यादि से संबंधित आरोप प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक–06, दिनांक 06.03.2002 द्वारा प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के आधार पर श्री ओझा से विभागीय पत्रांक–5873, दिनांक 25.07.2002 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री ओझा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, कैमूर से मंतव्य की माँग पत्रांक–1333, दिनांक 14.02.2004 द्वारा की गयी। जिला पदाधिकारी, कैमूर ने अपने पत्रांक–1450, दिनांक 21.04.2007 द्वारा श्री ओझा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया। तत्पश्चात विषयांकित प्रकरण के वृहद जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त के संचालन में संकल्प ज्ञापांक–5719, दिनांक 23.05.2011 द्वारा श्री ओझा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–7051, दिनांक 12.11.2013 में श्री ओझा के विरूद्ध गठित कुल 16 आरोपों में आरोप सं०–03 को प्रमाणित, आरोप सं०–1,2,4,5,6,8 एवं 09 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं०–7,10,11,12,13,14,15 एवं 16 को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–19079, दिनांक 16.12.2013 द्वारा श्री ओझा से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। इस बीच श्री ओझा के दिनांक 31.07.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–19078, दिनांक 16.12.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

श्री ओझा ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 21.01.2014 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित किया जिसमें मूल रूप में अंकित किया कि उप विकास आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा पूर्वाग्रह की भावना से आरोप लगाया गया है जो सच्चाई से सर्वथा दूर है। उन्होने संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले को संदेहास्पद माने जाने का उल्लेख करते हुए आरोप को प्रमाणित एवं अंशतः प्रमाणित माने जाने का कोई औचित्य नहीं बताते हुए प्रतिवेदित आरोप से स्वयं को मुक्त करने का अनुरोध किया।

श्री ओझा से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर एवं जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ओझा के विरूद्ध लॉग–बुक में गलत प्रविष्टि करने तथा समय–समय पर भिन्न–भिन्न तिथियों को सरकारी वाहन का निजी उपयोग करने का आरोप प्रमाणित है।

इस तरह उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–43 (बी०) के तहत श्री ओझा के पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक करने के अनुमोदित प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–14719 दिनांक 24.10.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गई। आयोग के पत्रांक–2474 दिनांक 20.01.2015 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई।

तद्आलोक में श्री राधा बिहारी ओझा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–28/08, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर, भभुआ सम्प्रति सेवानिवृत्त, शिव–कृपा, आदर्श बिहार, रूकनपुरा, पोस्ट–बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है।

1. पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती मात्र एक वर्ष तक के लिए

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 364-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in